In the High Court of Judicature at Patna.

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.NO.________ of 2013.

Manju Kumari ....Petitioner.

Versus

The State of Bihar and others.............Respondents.

Subject -Selection (AnganwariSevika) Non-Gazz etted)

INDEX.

Sl.No.	Particulars.	pages
1.	Synopsis.	1 - ii
2.	Petition under Article 226 of the Constitution of India.	1 to 11.
3.	Annexure-1: A true copy of Receipt dated 18.5.2007.	12
4.	Annexure-2: A true copy of order dated 28.10.2009.	13-15
5.	Annexure-3: A true copy of order dated 14.5.2010.	16-18
6.	Annexure-4: A true copy of order dated 12.08.2010.	19-25
6.	Annexure-5: A true copy of the representation dated 14.5.2013.	26-27
7.	Vakalatnama of the petitioner.	

In the High Court of Judicature at Patna.

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No.______ of 2013.

Manju Kumari ....Petitioner.

Versus

The State of Bihar and others..........Respondents.

-: **SYNOPSIS** :-

This is an application for the direction to the Respondents to make selection of the petitioner on the post of Anganwari Sevika at Tulsibari Rajpur Malia.

PARA-3	Petitioner is belongs to Most Backward Class (Ann-1) and comes in Poshak Area.
May 2007 PARA-4	Advertisement was made for appointment of Anganwari Sevika for Centre Tulsibari Rajpur Malia.
18.5.2007 PARA-5 Ann- 1.	Petitioner appleed for the same.
PARA-6	One Kanchan Kumari (Respondent No.7) also applied who belong Backward Class (Annexure-2).
PARA-7	In Anganwari Centre there is majority of Backward Class but C.D.P.O. with illegal motive prepared wrong maping list showing Backward dominated.
PARA-8	On the basis of wrong maping list C.D.P.O. selected Respondent No.7 as Anganwari Sevika.

28.10.2009 Ann - 2 PARA-9	Petitioner made complaint before District Programme Officer, Madhe ura, but he directed the concerned authority to sent Respondent No.7 on training.
14.5.2010 Ann - 3 PARA-10	Petitioner filed Appeal before District Magistrate, Madhepura who found illegality in preparing maping list and cancelled the appointment of Respondent No.7 and directed to prepare fresh maping list on the basis of majority and make selection of AnganwariSevika.
12.8.2010 Ann - 4 PARA-11	Respondent No.7 filed appeal before Commissioner which was dismissed.
14.5.2013 Ann - 5 PARA-17	Petitioner gave representation before Respondent authority but no response.
PARA-20	Action of Respondent authority is arbitrary, malafide. Hence this Writ application.

-/o/-

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No.__________ of 2013

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India.

And

In the matter of :-

Manju Kumari Wife of Prakash Kumar Mandal, Resident of Mohalla-Tulsibari, Rajpur Maliya, Ward No.9, Police Station and District-Madhepura.

.... Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar through Principal Secretary, Social Welfare Department, Government of Bihar, Patna.

2. Director, I.C.D.C.,Social Welfare Department,

   Government of Bihar, Patna.

3. District Magistrate, Madhepura.

4. District Programme Officer, Madhepura.

5. Child Development Project Officer, Madhepura.

6. Commissioner, Koshi Division, Saharsa.

7. Kanchan Kumari, Wife of Banshidhar Behari,

   Resident of Village-Malra Police Station-Madhepura

   District-Madhepura

.... Respondents.

To,

The Hon'ble Ms.Justice Rekha M.Doshit,

the Chief Justice of the High Court of

Judicature at Patna and her Companion

Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on

behalf of the abovenamed

petitioner,

Most Respectfully Sheweth :-

1. That this is an application for issuance of writ in the nature of Mandamus direction to the Respondents to make selection of the petitioner on the post of Anganwari Sevika at Anganbari Centre, Tulsibari Rajpur Malia in the District of Madhepura in the light of direction made by District Magistrate, Madhepura and Commissioner, Kosi Division, Saharsa any other appropriate writ, order, direction save and except in accordance with law.

2. That the petitioner is the citizen of India and lives within territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.

3. That the petitioner is the daughter-in-law of the Poshak area and belongs to most Backward Class (Annexure.1).

4. That in May 2007 an Advertisement was made for selection of Anganwari Sevika for centre

Tulsibari Rajpur Malia in the District of Madhepura.

5. That accordingly the petitioner applied for the post of Anganwari Sevika on 18.5.2007 for Centre Tulsibari Rajpur Malia.

A true copy of Receipt dated 18.5.2007 is annexed herewith and marked as Annexure-'1' to this application.

6. That besides petitioner one Kanchan Kumari (Respondent No.7) also applied who belongs to Backward Class (Annexure-2) and not comes from Poshak area.

7. That in the Anganwari Sentre, Tulsibari Rajpur Malia there is majority of Most Backward Class, but child Development Project Officer, Madhepura with illegal motive prepared wrong maping list showing Backward Class dominated.

8. That on the basis of wrong maping list

the C.D.P.O., Madhepura has selected Respondent No.7 Kanchan Kumari as Anganwari Sevika at Tulsibari Rajpur Malia Centre.

9. That being aggrieved with the selection of Respondent No.7 the petitioner made complaint before District Programme Officer, Madhepura, who passed an order vide Memo No.973 dated 28.10.2009 by which he has observed that the complaint filed by the petitioner is not correct since it is frivolous and directed the concerned authority to sent Respondent No.7 on training and to run Anganwari Centre.

A true copy of order dated 28.10.2009 is annexed herewith and marked as Annexure-2 to this application.

10. That being aggrieved with the order of District Programme Officer, the petitioner filed Appeal before District Magistrate, Madhepura, who after

considering vide Order dated 14.5.2010 passed an order that illegality was done in preparing maping list and on that basis he cancelled the appointment of Respondent No.7 and directed the concerned authority to prepare fresh maping list on the basis of majority and to make selection of Anganwari Sevika accordingly.

A true copy of order dated 14.5.2010 is annexed herewith and marked as Annexure-'3' to this application.

11. That being aggrieved with the order of District Magistrate, Madhepura Respondent No.7 filed Appeal No.38 of 2010 before Commissioner, Koshi Division, Saharsa, who after hearing all the parties not found any merit in the appeal and vide order dated 12.8.2010 dismissed the Appeal filed by Respondent No.7 and confirmed the order of District Magistrate, Madhepura.

A true copy of order dated 12.8.2010 is annexed herewith and marked as Annexure-'4' t this application.

12. That it appears from written statement dated 26.7.2010 annexed with aforesaid order that District Programme Officer, Madhepura has found that there was done illegality in preparing maping list.

13. That Ward No.9 is Most Backward Class Annexure-1 dominated Ward but C.D.P.O. with illegal motive shown the same Backward Class dominated Ward.

14. That the District Magistrate as well as Commissioner after hearing all the parties found illegality in preparing maping list of Anganwari Centre.

15. That District Magistrate has already cancelled the selection of Respondent No.7 and directed the authority concern to prepare maping list on the basis of majority and also directed to make selection

of the Anganwari Sevika from the majority.

16. That it is submitted that in the aforesaid Anganwari Centre there is majority of Most Backward Class Annexure-1 and the petitioner is only one candidate from Most Backward Class hence she is entitled for the said post.

17. That the petitioner gave several representations before Respondent authority to make her selection as Anganwari Sevika at Centre Tulsibari Rajpur Maliya but Respondent authority did not take any step one of the representation is annexed for perusal of this Hon'ble Court, if required, the petitioner is ready to produce all other representations.

A true copy of representation dated 14.5.2013 is annexed herewith and marked as Annexure-'5' to this application.

18. That in spite of direction of District Magistrate and Commissioner no step has been taken for appointment of Anganwari Sevika till date since the aforesaid post is still vacant.

19. That due to laches of Respondent authority the petitioner is moving pillar to post.

20. That action of Respondent authority is arbitrary, malafide, malicious and also violation of Article 14,16 and 21 of the Constitution of India.

21. That the petitioner has no any other alternative and efficacious redmedy other than by way of this application.

22. That the petitioner has not moved earlier before Hon'ble High Court for the reliefs as prayed in Para-1 to this application.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this application, issue

Rule NISI, call for the Respondents and after hearing the parties be pleased to allow this application ad grant reliefs as prayed in Para-1 to this application.

And/Or pa

Pass such other order or orders as your Lordships may deem fit and proper

And for this, the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Manju Kumari aged about 35 years, Wife of Prakash Kumar Mandal, Resident of Mohalla-Tulsibaru Rajpur Malia, Ward No.9, Police station and District-Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows :-

1. That I am Petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.

2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same and the statements of facts made in Paragraph Nos. 2,3,5,9,10,13 and 15 to 20 —— are true to my knowledge and those made in Paragraph Nos. 4 to 8,11,12 and 14 —— are based upon informations derived from the records of the case which I believe to be true and the rest are by way of submissions to this Hon'ble Court.

3. That the Annexures are true/photostat copies of their respective originals.

मंजु कुमारी

3

अनेक्च र- 1)

श्री मति मंजु कुमारी पति प्रकाश कुमार तलसी बाडी राजपुर मलिया अन्तर्गत मलिया वार्ड नं0 8, 9 दक्षिणी भाग आंगनवाडी केन्द्र सेविका / सहायिका पद पर चयन के लिए विहित प्रपत्र मे आवेदन प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या 02 है।

दिनांक 19·5·07

ह0 राजेन्द्र राम

19·5·07

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

पूरा नाम एवं पदनाम

अनुलग्नक -2

आदेश

तुलसी वाडी राजपुर मलिया एवं पंचायत के अन्तर्गत नवसृजित आंगनवाडी केन्द्र मलिया वार्डनं0 8 एवं 9 के चयनित सेविका कंचन कुमारी पति वंशीधर बिहारी का चयन आंगनवाडी सेविका केन्द्र पर दि0 9.6.07 को आमसभा के माध्यमसे किया गया लेकिन उक्त केन्द्र पर आरोप कर्ता मंजु कुमारी पति प्रकाश कुमार द्वारा आरोप लगाया गयाहै कि नवसृजित आंगनवाडी केन्द्र मलिया वार्डनं0 08 एवं 09 के मैपिंग निर्धारण मे अनियमितता बरती गई है क्योंकि पूर्व से संचालित केन्द्र वार्डनं0 08 के पोषक क्षेत्र के अधिकांश भाग लेते हुए भाग वार्ड नं0 09 का आंशिक भाग लेकरप्रश्न गत केन्द्र पिछडा वर्ग बाहुल्य बनाया गया हैजबकि वार्डनं0 9 अतिपिछडा वर्ग बाहुल्यता है वार्डनं0 9 मेपूर्वसे केन्द्र संचालितहै,

आरोप कर्ता के आरोप की जांच के क्रम मे पायागया कि चयन प्रक्रिया आमसभा के माध्यमसे किया गया। चयन हेतु आरोप कर्ता द्वारा भी आवेदन दाखिल किया गया चूंकि यह केन्द्र पिछडा वर्ग बाहुल्य के आमसभा केन्द्र की मैपिंगकोभी संपुष्ट किया गया बाहुल्य वर्ग मे कंचन कुमारी का चयन मेधा के आधार पर किया गया ।

आरोपकर्ता मंजु कुमारी का आरोपहै कि मैपिंग मेगडबडी कर वार्ड नं0 8 का अधिकांश भाग लेकर केन्द्र कोपोषक क्षेत्र बनाया गया है।

14

2.

वार्ड नं0 7 को मांडित किया गया है, जबकि वार्ड नं0 8 मे पूर्व से एक केन्द्र संचालित है।

आरोप/क्षर्व//मंजु//कुमारी/का/आरोप है/कि

पूर्ववि विकास पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत नजरी एवं जांच प्रतिवेदन तथा जिला कल्याण पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन बालविकास परियोजना पदाधिकारी का प्रतिवेदन एवं आमसभा का कार्यवाही पंजीका अवलोकन किया आरोपकर्ता का चयन नही होने के कारण इनके द्वारा केन्द्र को विवादित करने की मंशा से आरोप लगाया गया है, लगाए गए आरोप के कारण केन्द्र का संचालन नही हो पा रहा है, जिसके कारण वहां के लाभुक सरकार के इस कल्याण कारी योजना से वंचित हो रहे है, सरकारी निदेश के आलोक मे केन्द्र का संचालन तुरंत किया जाना आवश्यक है।

अत: वर्णित परिस्थिति मे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि उक्त केन्द्र पर चयनित सेविका कंचन कुमारी पति वंशीधर बिहारी को प्रशिक्षण मे भेजते हुए केन्द्र का संचालन अविलंब कराना सुनिश्चित किया जाय तथा केन्द्र संचालन के पश्चात इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करा दी जाय।

ह0अस्पष्ट

28.10.07

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा

3.

ज्ञापांक 973/ दिनांक 29.10.09

प्रतिलिपि - बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित निदेश दिया जाता है कि आदेश का अनुपालन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- चयनित सेविका कंचन कुमारी पति वंशाधिर बिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 अस्पष्ट
29.10.09

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा

ज्ञापांक 973 दिनांक 29.10.09

प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 अस्पष्ट

29.10.09

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा

अनेक्स र- 3

आदेश

1·5·10 :- आवेदिका मंजु कुमारी पति प्रकाश कुमार मंडल ग्राम मलिया वार्ड 09 प्रखंड मधेपुरा ने आवेदन समर्पित कर निवेदन किया है कि आंगनवाडी केन्द्र तुलसीवाडी राजपुर मलिया केxxx पोषक क्षेत्र के निर्धारण मे अनियमितता बरतीगइ है केन्द्र अति पिछडा वर्ग बाहुल्य है, जबकि गलत ढंग से मेपिंग तैयार कर केन्द्र को पिछडा बाहुल्य बनाया गया है, जिसके आधार पर पिछडा वर्ग के आवेदिका कंचन कुमारी का चयन सेविका पद पर किया गया जो गलत है।

आवेदन के आलोक मे इस कार्यालय के ज्ञापांक 433 दिनांक 22·4·2010 द्वारा आरोप कर्ता मंजु कुमारी एवं चयनित सेविका कंचन कुमारी को नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक 27·4·2010 को उपस्थित होकर अपने अपने दावे के समर्थन मे संबंधित कागजात के साथ उपस्थित होकर पक्ष रखने का निदेश दिया गया साथ ही बालविकास परियोजना पदाधिकारी मधेपुरा को निदेश दिया गया कि चयन से संबंधित सभी कागजातxx एवं जांच प्रतिवेदन के साथ निर्धारित तिथि को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्धारित तिथि को आवेदिका उपस्थित होकर अपना लिखित कथन समर्पित की है, जिसमे अंकित किया है कि आंगनवाडी केन्द्र तुलसीवाडी राजपुर मलिया के पोषक क्षेत्र के निर्धारण मे अनियमितता बरतीगइ है। राजनीतिक द्वेष की वजह से मुखिया

लगातारपेज ।•

की वजहसे मुखिया द्वारा आंगनवाडी केन्द्र वार्ड सं0 09 के बजाय 53 मे ले जाया गया है, वार्ड नं0 9 मे अति पिछडा एवं महादलित बाहुल्य क्षेत्र है जबकि गलत ढंग से अति पिछडा वर्ग की आबादी को छोडते हुए पिछडा वर्ग की आबादी वार्ड नं0 09 से लेकर केन्द्र पिछडा बाहुल्य बनाया गया है, जिसके आधार पर पिछडा वर्ग की आवेदिका कंचन कुमारी का चयन सेविका पद पर किया है जो गलत है।

चयनित सेविका कंचन कुमारी का दावा है कि आंगनवाडी केन्द्र तुलसीवाडी राजपुर मलिया के आंगनवाडी सेविका पद हेतु मै भी आवेदन समर्पित की थी जिसके आलोक मे चयन समिति द्वारा विधिवत मेरा चयन सेविका पद पर किया गया है, तत्पश्चात मै सेविका पद पर कार्यरत हूँ।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मोतीपुर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन मे अंकित किया है कि तुलसीवाडी मलिया पंचायत के वार्डनं0 08 एवं वार्ड नं0 09 दोनो की आबादी लगभग 2000 है केन्द्र सं0 57 केन्द्र का नाम - मलिया वार्डनं0 08 है केन्द्र सं0 57 का पूर्व से वार्डनं0 08 मे संचालित है वार्डनं0 09 का 50 जनसंख्या इनसे सटा है, जो इनके पोषक क्षेत्र मे है नवसृजित आंगनवाडी केन्द्र सं0 82 केन्द्र का नाम मलिया वार्ड नं0 08 एवं 09 बनाया गया है, नव सृजित आंगनवाडी ~~केन्द्र/सं0/~~ मे भी वार्डनं0 09 का सिर्फ 250 जनसंख्या जोडा गया है, वार्डनं0 09 का पोषक क्षेत्र जो कि पूर्व की सेविका का है वही भाग नवसृजित आंगनवाडी के पोषक क्षेत्र मे आती है।

वार्डनं0 08 मे लगभग 700 जनसंख्या के करीब सटा हुआ है, जो कि केन्द्र सं0 57 मे नही है और न ही केन्द्र सं0 62 मे है।

वार्डनं0 02 की संख्या फैला हुआ है इसलिए वार्डनं0 09 मे एक केन्द्र होना चाहिए, वार्ड नं0 09 के जनसंख्या को किसी केन्द्र मे जोडने का प्रश्न है जो केन्द्र सं0 82 मे जोडा जा सकता है क्योंकि

18

केन्द्रसं0 57 वार्डनं0 08 मेपूर्व सेही संचालित है केन्द्रसं0 62 का चौहद्दी एवं मेपिंग ~~xxxxxx~~ पंजी सही संधारण नही किया गया है।

उभय पक्षो को सुननेएवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मधेपुरा केजाच प्रतिवेदन के अवलोकनसे स्पष्ट होता है कि आंगनवाडी केन्द्र तुलसीवाडी राजपुर मलिया वार्डनं0 09 केमेपिंगपंजी संधारण मे अनियमितता बरती गइहै चूंकि निर्धारित चौहद्दी मे लगभग 700 जनसंख्या को छोडा गया है, इसप्रकार केन्द्र पिछडा बाहुल्य बनाया गया है जबकि मुझे जनसंख्या को जोडने पर केन्द्र अति पिछडा बाहुल्य हो सकता है। अत: चयनित सेविका कंचन कुमारी केचयन कोरद्द करतेहुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मधेपुरा को निदेशदिया जाता है कि निर्धारित चौहद्दी के आधार पर पुन: नयेसिरे सेमेपिंगपंजी का निर्धारण किया जाय तत्पश्चात वर्गबाहुल्य के आधार पर चयन की प्रक्रिया विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक मे अपनातेहुए अग्रेतर कारवाइ सुनिश्चित किया जाय।

इसकीसूचना सभीसंबंधितो को निबंधित डाकसेदीजाय।

ह0अस्प०

जिलापदाधिकारी मधेपुरा

ज्ञापांक 555 दिनांक 18.5.10

प्रतिलिपि:- आवेदिका मंजु कुमारी/ चयनितसेविका कंचन कुमारी बाल विकास परि0 पदा0 मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित

ह0अस्प०

11.5.10

जिला प्रोग्रामपदा0 मधेपुरा

पच्चीस पैसे
TEN RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत
TWENTYFIVE PAISE

Annexure-4

19

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
5x61	24/8/2010	24/8/2010	25/8/2010	25/8/2010

24/8/2010

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा ।

सेवा अपील सं0-38/2010

कंचन कुमारी ------------अपीलकर्ता

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य --------प्रतिवादी

:- आदेश :-

12·08·2010 आवेदिका कंचन कुमारी पति- वीरेन्द्र यादव द्वारा जिला दण्डाधिकारी मधेपुरा द्वारा विविध वाद सं0-08/2010 मंजु कुमारी-बनाम-कंचन कुमारी में दिनांक- 11·05·2010 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है।

दिनांक- 26·07·2010 सभी पक्षों की सुनवाई की गई । आवेदिका कंचन कुमारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता आँगनवाड़ी सेविका है, जिनका चयन 2007 में आँगनवाडी केन्द्र सं0-62 के लिए हुआ था तथा तब से ये अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते आ रही थी । अपीलकर्ता की ओर से बताया गया कि वर्ष-2005 में ग्राम पंचायत- तुलसीबाडी, राजपुर, मलिया में कुल 07(सात) आँगनवा केन्द्र क्रमशः 01 मलिया, 02 राजपुर पश्चिम, 03 तुलसीबाड़ी, 04 पिपरपता, 05 गोसाई टोला , 06 बेलहा घाट एवं, 07 राजपुर पूर्व की स्वीकृति हुई थी, एवं तदोपरांत सातो केन्द्र संचालित किये गये । आँगनवाड़ी केन्द्र मलिया, केन्द्र संख्या-134 चौहद्दी उ0- इटहरी ग्राम पंचायत-एकडहरा, सबरपुरा गोदेला दक्षिण में, राजपुर, पूरब -पिपरपता तथा पश्चिम - गोसाई टोला, कायम हुआ । पुनः विभाग ने वर्ष-2007 में ग्राम पंचायत के लिए चार आँगनवाड़ी केन्द्र की स्वीकृति दी गई । जिसमें पुराने

TEN RUPEES

२५ पैसे

सत्यमेव जयते

भारत

TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

आँगनवाड़ी केन्द्र मलिया केन्द्र संख्या -134 का विभाजन दो भाग में हुआ, आँगनवाड़ी केन्द्र -57 एवं आँगनवाड़ी केन्द्र -62 है। आँगनवाड़ी केन्द्र -57 में वर्ष -2005 में चयनित आँगनवाड़ी सेविका बेबी कुमारी कार्यरत रही। इस आँगनवाड़ी केन्द्र की चौहद्दी उ0- गौढ़ेला, दक्षिण-राजपुर, पूरब- पिपरपता, पश्चिम- मलिया वार्ड नं0-08 एवं 09 है। इस केन्द्र पर जनसंख्या लगभग 1000 (एक हजार) थी। दूसरा आँगनवाड़ी केन्द्र सं0-62 की चौहद्दी- उ0-एकडहरा इटहरी ग्राम पंचायत एवं सकरपुरा ग्राम पंचायत, दक्षिण-वार्ड नं0-08 पूरब -पूर्व से संचालित केन्द्र सं0-57 पश्चिम -लक्ष्मीनियाँ ही।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि केन्द्र सं0-62 की मैपिंग विधिवत रूप से तैयार कर प्रारूप प्रकाशित की गई थी। आपत्ति के निष्पादन के पश्चात् दिनांक- 13.05.2007 को मैपिंग का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया। इसका अनुमोदन ग्राम पंचायत कार्यकारिणी से कराया गया। इसके उपरांत दिनांक- 09.06.2007 को विधिवत् रूप से आम सभा आयोजित कर विभागीय प्रावधानों का पालन करते हुए केन्द्र संख्या-62 के लिए मेधा सूची के सर्वाधिक मेधा अंक धारित आवेदिका -कंचन कुमारी का चयन सेविका के पद पर किया गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि अपीलकर्ता का चयन पूर्ण रूप से विधिसम्मत था, परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा उनके द्वारा समर्पित कागजातों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के प्रतिवेदन को आधार बनाते हुए आदेश पारित किया गया जो कि असंवैधानिक एवं विधि विरूद्ध है। उनका कहना है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने किस आधार पर सात सौ जनसंख्या छोड़ने की बात कही, यह जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि जिस सात सौ

TEN RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत
TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

जनसंख्या को छोड़ने की बात कहीं जा रही है उनका क्षेत्र आँगनवाड़ी केन्द्र सं0-57 के चौहद्दी के अधीन आता है एवं ये इसी आँगनवाड़ी केन्द्र से आच्छादित है।

प्रतिवादी सं0-05 श्रीमती मंजू देवी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि आँगनवाड़ी केन्द्र -कुसीबाड़ी राजपुर भलिया के पोषक क्षेत्र के निर्धारण में अनियमितता बरती गई। गलत ढंग से मैपिंग कर केन्द्र को पिछड़ा वर्ग बाहुल्य बनाया गया। जिसके आधार पर पिछड़े वर्ग की आवेदिका कंचन कुमारी का चयन सेविका के पद पर किया गया जो गलत था और इसी के विरूद्ध जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय में वाद दायर किया गया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि वार्ड सं0-09 में अत्यन्त पिछड़ी जाति की बाहुल्यता है जबकि वार्ड नं0-08 में पिछड़ी जाति की बाहुल्यता है। स्थानीय मुखिया, पंचायत सचिव एवं वार्ड नं0-08 के कुछ संभ्रांत लोगों की मिली भगत से वार्ड नं0-09 की गलत मैपिंग तैयार की गई। जिसमें वार्ड नं0-09 के अनेक लोगों को छोड़ दिया गया। आँगनवाड़ी केन्द्र संख्या- 57 पूर्व से हीं वार्ड नं0-08 में संचालित था। जब आँगनवाड़ी केन्द्र सं0-62 की स्थापना हुई तो उसे भी वार्ड नं0-08 में रखते हुए वार्ड नं0-09 के लगभग 1000(एक हजार) अत्यन्त पिछड़ी जाति की जनसंख्या को उसमें सम्मलित नहीं किया गया। उनका कहना है कि जिला पदाधिकारी द्वारा सभी बिन्दु पर दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत विधि-सम्मत आदेश पारित किया है।

सरकार की ओर से उपस्थित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा की भी सुनवाई की गई। उन्होंने बताया कि पंचायत कुसीबाड़ी राजपुर भलिया

२५ पैसे
सत्यमेव जयते
भारत
TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

में पूर्व में संचालित पाँच आँगनवाड़ी केन्द्रों में से मलिया गाँव के एक आँगनवाड़ी केन्द्र संचालित था । वर्ष-2006-07 में सरकार से आबादी के अनुरूप अतिरिक्त केन्द्रों की स्वीकृति के फलस्वरूप मलिया गाँव में एक और केन्द्र का गठन किया गया । पूर्व में संचालित केन्द्र का नाम मलिया वार्ड नं0-08 केन्द्र कोड 57 तथा नवसृजित केन्द्र का नाम मलिया वार्ड नं0-08-09 कोड 62 दिया गया । मलिया गाँव की आबादी लगभग 2000(दो हजार) है तथा इसमें वार्ड नं0-08, 09 एवं 10 का अंश पड़ता है। गाँव के पश्चिम में वार्ड नं0-08 है। इस वार्ड के बीच में आँगनवाड़ी केन्द्र मलिया वार्ड नं0-08 संचालित है। गाँव के पूरब में वार्ड नं0-09 की आबादी है। ग्रामीण सड़क उत्तर- दक्षिण में दोनों वार्डों को विभाजित करती है। वार्ड नं0-09 के दक्षिण भाग में वार्ड नं0-10 की 13 (तेरह) घरों की आबादी अवस्थित है। कंचन कुमारी, आँगनवाड़ी केन्द्र कोड सं0-62 में सेविका के पद पर कार्यरत थी जिसमें वार्ड नं0-08 की आधी आबादी एवं वार्ड नं0-09 का एक तिहाई आबादी आच्छादित हो रही थी । जबकि वार्ड नं0-09 की अधिकांश आबादी तथा वार्ड नं0-10 के 13 घरों का सर्वेक्षण छोड़ दिया गया है। ये आबादी किसी भी केन्द्र के पोषक क्षेत्र में नहीं है। उनका कहना है कि वार्ड नं0 08 के आधी आबादी को दोनों केन्द्रों में सर्वेक्षण कर लिया गया है। मलिया गाँव की आबादी एवं भौगोलिक स्थिति के अनुसार पूर्व का केन्द्र (केन्द्र कोड 57) वार्ड नं0-08 में सही स्थान पर संचालित है। जबकि नवसृजित केन्द्र वार्ड नं0-09 के मध्य में संचालित होना चाहिए था पर ये वार्ड नं0-08 के सटे वार्ड नं0-09 के भाग में संचालित किया गया । उनका कहना है कि केन्द्र के पोषक क्षेत्र के निर्धारण

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

में त्रुटि हुई है और इसका समर्थन पूर्व में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी के प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला पदाधिकारी का आदेश पूर्ण रूप से विधि-सम्मत है।

सभी पक्षों को सुनने के उपरांत एवं अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजात एवं तथ्यों के अवलोकनोपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रथम दृष्टया आँगनवाड़ी केन्द्र सं0-62 के निर्धारण एवं मैपिंग कार्य में त्रुटि हुई है। मलिया गाँव की आबादी लगभग दो हजार है तथा इसमें वार्ड नं0-08, 09 एवं 10 का अंश (तेरह घर) पड़ता है। इस पुरी आबादी को आँगनवाड़ी केन्द्र 57 एवं आँगनवाड़ी केन्द्र 62 से आच्छादित होना चाहिए था जबकि वार्ड सं0-09 के अधिकांश आबादी एवं वार्ड नं0-10 के तेरह घर किसी भी आँगनवाड़ी केन्द्र से आच्छादित नहीं है जो कि मैपिंग में की गई अनियमितता को परिलक्षित करता है। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी पक्षों को विस्तारपूर्वक सुनते हुए विभागीय मार्ग दर्शिका के अनुसार विधि-सम्मत आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक सम्यक विचारोपरांत अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित करें।

ह0/-

आयुक्त,

कोशी प्रमण्डल, सहरसा।

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

-: लिखित बयान:-

आज दिनांक - 26.07.2010 को आयुक्त न्यायालय सहरसा में श्रीमती कंचन देवी -बनाम- राज्य मामले में सुनवाई में लिखित बयान दे रहा हूँ कि मधेपुरा जिला के मधेपुरा बाल विकास परियोजनान्तर्गत तुलसीबाड़ी राजपुर मलिया पंचायत के मलिया गाँव की करीब 2000 आबादी है। इस गाँव में वार्ड नं0-08 वार्ड नं0-9 पूर्ण तथा वार्ड नं0-10 का अंश पड़ता है। इसमें पूर्व से एक आँगनवाड़ी केन्द्र मलिया संचालित था। वित्तीय वर्ष- 2006-07 में सरकार से अतिरिक्त केन्द्रों की स्वीकृति के फलस्वरूप मलिया गाँव में एक और आँगनवाड़ी केन्द्र गठित किया गया। दोनों आँगनवाड़ी केन्द्रों के बीच पोषक क्षेत्र बाँटा गया। पूर्व से संचालित केन्द्र मलिया को मलिया वार्ड नं0-8 केन्द्र कोड -57 तथा नवसृजित केन्द्र को मलिया वार्ड 8-9 केन्द्र कोड 62 नाम दिया गया।

वार्ड नं0-8 में पूर्व का केन्द्र संचालित है। नव-सृजित केन्द्र वार्ड -9 पूर्ण एवं वार्ड नं0-10 का अंश बनाने से पुरा मलिया गाँव आच्छादित हो जाता है, परन्तु नव-सृजित केन्द्र सं0-62 का पोषक क्षेत्र वार्ड नं0-8,9 बनाने से सेविका द्वारा वार्ड -8 की करीब आधी आबादी जो कि पूर्व से संचालित केन्द्र का पोषक क्षेत्र है का सर्वेक्षण कर तथा वार्ड -9 का आंशिक सर्वेक्षण कर केन्द्र संचालित किया गया। जिस कारण वार्ड -9 का करीब 500 और वार्ड 10 का करीब 140 आबादी अनाच्छादित रह गया और वार्ड -8 की आधी आबादी को दोनों केन्द्र के पोषक क्षेत्र में दर्शाया जा रहा है।

मलिया गाँव की भौगोलिक स्थिति के अनुसार वार्ड -8 में पूर्व से संचालि

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was raady for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख 25 Date of making over the copy to the applicant.

केन्द्र सही जगह पर है जबकि वार्ड नं0-9 पूर्ण एवं 10 का अंश मिलाकर दूसरा केन्द्र होना चाहिए । स्पष्टतः नवचयनित आँगनबाडी केन्द्र कोड-62 के पोषक क्षेत्र निर्धारण में गडबडी हुई है।

विश्वासभाजन,
ह0/-

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
मधेपुरा ।

प्रमाणित प्रतिलिपि
354
25/8/2010

अनेक्चर -5

सेवा मे,

श्रीमान बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
मधेपुरा

विषय :- तुलसीवाडी राजपुर मलिया आंगनवाडी केन्द्र मे आंगनवाडी सेविका केपद पर चयन करने केसंबंध मे।

महाशय,

निवेदन हैकि मैने आंगनवा-डी सेविका पद हेतु आवेदन दी थी, लेकिन गलत ढंग से आंगनवाडी केन्द्रको पिछडा वर्गघोषित कर कंचन कुमारी पति वंशाधिर बिहारी का आंगनवाडी सेविका के पद पर चयन कर लिया गया ।मैने जिला पदाधिकारी मधेपुरा के यहांशिकायत की तो उन्होने जांचोपरांत केन्द्र को अत्यंत पिछडा वर्गबाहुल्य बताया तत्पश्चात कंचन कुमारी के चयन कोरद्द करतेहुए बालविकास परियोजना पदाधिकारी मधेपुरा को नए सिरेसे मैपिंग पंजी का निर्धारण करनेका निर्देश दिया तथाबाहुल्यता के आधार पर चयन करने कानिर्देश दिए तत्पश्चात आयुक्त कोशीप्रमंडल सहरसा ने भी अपने आदेश दिनांक 12·3·2010के द्वारा कंचन कुमारी दायरकिएगए अपीलि को अस्वीकृत करदिए । श्रीमान से कहना है कि तुलसीवाडी राजपुर मलिया आंगनवाडी केन्द्र अत्यंत पिछडा वर्ग बाहुल्य है, मैएक अत्यंत पिछडा वर्ग बाहुल्य महिला हूँ

27

तथा योग्य उम्मीदवार हूँ, मैने पूर्व श्रीमान कोअनेको आवेदन आंगनवाडी पद पर चयन हेतु दी थी, लेकिन आज तक कोइ कारवाई नही हुइ

अत: श्रीमानसे अनुरोध है कि मेरा चयन आंगनवाडी सेविका केन्द्र पर तुलसीवाडी राजपुर मलिया केन्द्रपर करने कीकृपा किया जाय ।

प्रतिलिपि :-
जिला पदाधिकारी मधेपुरा
जिलाकार्यक्रम पदाधिकारी
मधेपुरा

विश्वासनी
ह0मंजु कुमारी
जौजे प्रकाश कुमार मंडल
मुहल्ला तुलसीवाडी राजपुर
मलिया वार्डनं0 ।
थाना व जिला मधेपुरा
दिनांक 14.5.2013